न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 172/2017 **दायरा दिनांक : 11.10.2017**

उनवान

1— शब्बीर पुत्र सिद्दु खां, आयु 41 साल, जाति मुसलमान, निवासीगण लौटाभैरू, तहसील छबडा, जिला बारां

2— साबिर पुत्र सिद्दु खां, आयु 44 साल, जाति मुसलमान, निवासीगण लौटाभैरू, तहसील छबडा, जिला बारां

3— मुमताज बैगम आयु 41 साल पुत्री सिद्दु खां पत्नी जहुर अली, जाति मुसलमान, निवासी कृष्णपुरा मार्ग चक्की के सामने ब्यावरा जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)

4— मेहरूनिसा आयु 36 साल पुत्री सिद्दु खां पत्नी शकील खां, जाति मुसलमान, निवासी चोधरन कालोनी बोहरा मस्जिद के पास गुना (मध्यप्रदेश)

5— मुन्नीबाई आयु 66 साल पत्नी सिद्दु खां, जाति मुसलमान, निवासीगण लौटाभैरू, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रियासत अली, आयु 43 साल पुत्र नन्ने खां, जाति मुसलमान, निवासी अलीगंज बाजार, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

2— मिथलेश भार्गव आयु 51 साल पुत्र कन्हैयालाल, जाति ब्राहमण, निवासी हनुमान गली वार्ड नम्बर 17 छबडा, जिला बारां

3— बण्टी आयु 36 साल पुत्र सफात, जाति मुसलमान, निवासी अलीगंज बाजार छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

4— कपिल तिवारी, आयु 37 साल पुत्र ओम प्रकाश, जाति ब्राहमण, निवासी ईदगाह चौराहे के पास छबडा, जिला बारां

5— भूपेन्द्र आयु 41 साल पुत्र बाबूलाल, जाति तेली, निवासी ईदगाह चौराहा छबडा, जिला बारां

6— ललित आयु 39 साल पुत्र बाबूलाल, जाति तेली, निवासी ईदगाह चौराहा छबडा, जिला बारां

7— महेश आयु 36 साल पुत्र बाबूलाल, जाति तेली, निवासी ईदगाह चौराहा छबडा, जिला बारां

8— नाथूलाल आयु 66 साल पुत्र किशनलाल, जाति महाजन, निवासी छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 95/2016 निर्णय दिनांक 23.08.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांटगण व रेस्पोडेंट नम्बर 8 ने रेस्पोंडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां में आराजी खसरा नम्बर 305 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जो उनके संयुक्त कब्जे में स्थित है । रेस्पोडेंटगण ताकतवर व्यक्ति हैं जो ताकत के बल पर अपीलांटगण की वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है । वादग्रस्त आराजी पर प्रवेश करने, तामीर करने, उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान डालने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 95/2016 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी शब्बीर बना रियासत अली में पारित एक तरफा स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय छबडा का आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.08.2017 को अपीलाधीन आदेश पत्रावली प्रकरण में पक्षकारान की तलबी में नियत थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 46/2009 बउनवान नाथू लाल बनाम शब्बीर इत्यादि का हवाला देते हुए उक्त प्रकरण को निरस्त कर एक तरफा दिया गया स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया, जबकि प्रकरण संख्या 95/2016 व 46/2009 में विषय वस्तु वाद एक है परन्तु पक्षकारान अलग अलग हैं अतः उनके विरूद्ध पारित आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो प्रकरण लम्बित थे दोनों ही प्रकरण में पक्षकारान अलग अलग थे तथा वाद बिन्दु व आराजी एक ही थी और वाद कारण भी समान ही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह गलत किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी समान है, खसरा नम्बर समान है, रकबा भी समान है और पक्षकारान भी समान है इसलिए दोनों पत्रावली को शामिल करके जो आदेश पारित किया गया है, वह उचित है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । इसमें वकील वादी का यह कथन है कि विवादित आराजी समान है और तनकीयात भी समान है, परन्तु पक्षकारान अलग अलग हैं यह किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है, न तो जमाबंदी की कोई प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है और न ही कोई दस्तावेज ही प्रदर्श करवाये गये हैं जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित आराजी समान होते हुए भी पक्षकारान अलग अलग हैं। इस प्रकार वादी की अपील प्रमाणित नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा